उल्लंघन पत्र/स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010

Government of India
Ministry of Mines
dian Bureau of Mines, Regional Office
Karmayogi Bhavan, 4th Floor,
Block-2,
C Wing, Sec 10A Gandhinagar,
Gujarat-382010
Tel- 079 29750358 /29750359; ई –मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/भाव/चू.प-07 Mine code 38GUJ05003 ID दिनांक:

सेवा में : अल्ट्राटेक सीमेंट लि.
गुजरात सीमेंट वर्क्स
कोवाया, तालुका- राजुला, जिला- अमरेली- 365 541 (गुजरात)
e mail – vsk.rao@adityabirla.com

विषय: गुजरात राज्य के जिला- भावनगर, तालुका- तलाजा में निकट ग्राम- तल्ली, बांभोर स्थित आपकी तल्ली-बांभोर चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 193.32 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का आभासी निरीक्षण (Virtual inspection) अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.02.2025 को किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-307/2020-21MDRD(N)/GNR, दिनांक 15.01.2021 के द्वारा अनुमोदित रिव्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- १) अनुमोदित रिव्यू खनन योजना के पृष्ठ संख्या- 72 के अनुसार अनुसार वर्ष **2023-24** में कुल **1000** पौधों का वृक्षारोपण Plate No. 4C के अनुसार प्रस्तावित स्थान पर किए जाना था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि किया गया वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थान से अलग तथा प्रस्ताव से कम है। २) अनुमोदित रिव्यू खनन योजना के पृष्ठ संख्या- 72 के अनुसार अनुसार वर्ष **2023-24** में कुल **1433** मी. Fencing लगाए जाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि प्रस्तावित Fencing नहीं लगाई गए है।
28(1)	खान पर खनन तथा Mineral processing operations अस्थाई रूप से 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बंद किए गए हैं किन्तु नियमानुसार इसकी सूचना प्रपत्र- E में राज्य सरकार तथा इस कार्यालय को नहीं दी गयी है।

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की

पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by Manish Gupta
(मनीष गुप्ता)
Date: 12-03-2025 10:23:35
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि - १. खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न.- 15, ड़ा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो